न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र भट्ट (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 59/2019 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा	**बनाम**	1. रामलाल पिता लक्ष्मीचंद रेगर निवासी थडौदा तहसील बिजोलियां
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्र्तगत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री नोनिहाल सिंह अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 18.12.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत विपक्षी के विरूद्ध प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम थडौदा की आ.नं. 1921/7 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 21.05.1992 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दिनांक 30.07.2019 को इस न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया तथा विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किए गए। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम थडौदा की आ.नं. 1921/7 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय दिनांक 21.05.1992 को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कभी भी कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें। अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की हैं। प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम थडौदा का मौका पर्चा, ग्राम थडौदा की जमाबंदी संवत् 2073–2076 की प्रति प्रस्तुत की हैं।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अप्रार्थी के नाम पर आवंटन कमेटी ने नियमानुसार आवंटन किया हैं। अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित किया कि आवंटित भूमि पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा नही दिया गया। आवंटित भूमि पर पडौसी खातेदारों द्वारा कब्जा कर रखा हैं। आवंटित भूमि का कब्जा दिलाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कराने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध तथ्यों एवं दस्तावेजों का भलीभांति परीक्षण किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके उपरान्त पाया कि पटवार हल्का की मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 12.05.2018 में अंकित किया हैं कि ग्राम थडौदा के आ.न. 1921/7 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय में मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं हैं। जबकि विपक्षी को पटवारी हल्का द्वारा आवंटित भूमि का दिनांक 26.06.1992 को कब्जा दिया गया है। जिसके सुपुर्दगीनामा की प्रमाणित प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी। उक्त विवेचन अनुसार आवंटी द्वारा भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) की पालना नहीं की जाना स्पष्ट होता हैं। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) स्वीकार योग्य ठहरता हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत् भू–आवंटन निरस्तीकरण का स्वीकार कर विपक्षी रामलाल पिता लक्ष्मीचंद रेगर निवासी थडौदा के नाम आवंटित ग्राम थडौदा के आराजी नं. 1921/7 रकबा 5.00 बीघा भूमि आवंटन दिनांक 21.05.1992 को खारिज किया जाता हैं एवं तहसीलदार बिजोलियां को निर्देश दिये जाते है कि ग्राम थडौदा की आ.न. 1921/7 रकबा 5.00 बीघा भूमि किस्म बारानी तृतीय को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रिकार्ड में बिलानाम दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजोलियां को संप्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Bhatt
Date: 2019.12.18 16:24:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: